

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ०प्र०

खाद्य एवं औषधि नियंत्रण अनुभाग

लखनऊ दिनांक 22 अक्टूबर 2009

विषय- खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रणाधीन कार्यरत खाद्य निरीक्षकों की तहसील स्तर पर तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण के निवारण हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रणाधीन कार्यरत खाद्य निरीक्षकों एवं मुख्य खाद्य निरीक्षकों के द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली 1955 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधीन कार्यरत खाद्य निरीक्षकों की तैनाती विकास खण्ड स्तर पर होती है। सम्प्रति खाद्य निरीक्षकों के 424 पद रिक्त होने के कारण प्रत्येक विकास खण्ड में खाद्य निरीक्षकों की तैनाती किया जाना संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4466/पाँच-8-08-129खा/08 दिनांक 20.12.08 द्वारा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के अधीन संगठनात्मक ढांचा बनाये जाने के निर्देश दिये गये थे। शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि सम्प्रति खाद्य निरीक्षकों की तैनाती खण्ड विकास स्तर के स्थान पर तहसील स्तर पर की जाय।

2- अतः आपसे अनुरोध है कि अपने जनपद में तैनात समस्त खाद्य निरीक्षकों की तैनाती विकास खण्ड के स्थान पर तहसील स्तर पर कर दें। प्रदेश के नगर निगमों एवं कतिपय स्थानीय निकायों में नगर विकास विभाग के स्वच्छता एवं खाद्य निरीक्षक खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अन्तर्गत खाद्य निरीक्षकों के कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इन स्थानों पर वर्तमान व्यवस्था को यथावत बनाये रखा जाय। ऐसे नगरों में जिला मुख्यालय की तहसील पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन के खाद्य निरीक्षकों की तैनाती इस प्रतिबन्ध के साथ की जाय कि उनका क्षेत्राधिकार नगर निगम अथवा सम्बन्धित स्थानीय निकाय की सीमा के बाहर पड़ने वाला भौगोलिक क्षेत्र होगा।

3- शासन द्वारा इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया है कि तहसील स्तर पर तैनात खाद्य निरीक्षक संबंधित तहसील में उप जिलाधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रण में अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

4- जिन जनपदों में खाद्य निरीक्षकों की संख्या तहसीलों की संख्या से कम अथवा अधिक है, उन जनपदों में खाद्य निरीक्षकों की संख्या और विद्यमान कमी व आधिक्य को दर्शाते हुए सम्पूर्ण विवरण संलग्न प्रारूप पर तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाये। अग्रिम व्यवस्था होने तक उपलब्ध खाद्य निरीक्षकों को तहसीलवार तैनात करते समय इस कमी के दृष्टिगत 01 अथवा 01 से अधिक तहसीलों का प्रभार दे दिया जाये।

संलग्नक: यथोपरि।


भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
सचिव।

संख्या: 2587 (1)/अठरासी-09-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- स्टाफ आफिसर, मंत्रि मण्डलीय सचिव, उ०प्र० शासन को मा० मंत्रि मण्डलीय सचिव के अवगतार्थ।
- 2- मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवगतार्थ।
- 3- प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ०प्र० शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र० शासन।
- 5- आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन उ०प्र०।
- 6- समस्त मण्डलायुक्त उ०प्र०।
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र०।

आज्ञा से,

(एस०के० द्विवेदी)
विशेष सचिव,

शासनादेश संख्या- /अठरासी-08, दिनांक अक्टूबर, 2009 का संलग्नक

क्रम संख्या	जनपद का नाम	तहसीलों की संख्या	कार्यरत निरीक्षकों के नाम	खाद्य	जनपद में तैनाती की तिथि